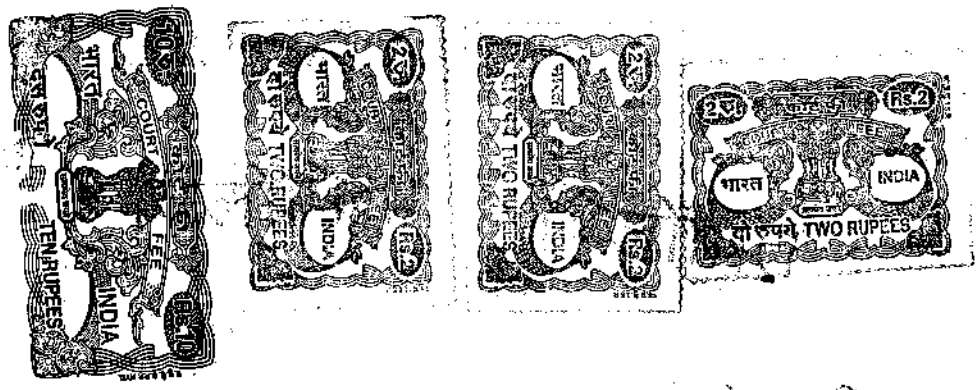

(2)

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक /2014 पुनरीक्षण निग0 4088-I-14

5-12-14

राजेश्वरी पत्नि महेश प्रसाद पाण्डेय

निवासी--खेरमाई, मुआ बिछिया

तहसील बिछिया जिला--मण्डला म.प्र.

विरुद्ध

1. सौरभ कुमार पुत्र स्व. श्री शम्भु प्रसाद पाण्डेय

2. श्रीमती राजरानी बाई पत्नि स्व. श्री शम्भु प्रसाद पाण्डेय

निवासीगण ग्राम मारसडोली, मुआ बिछिया

तहसील--बिछिया जिला--मण्डला म.प्र.

183/15

अनुविभागीय अधिकारी बिछिया--मण्डला द्वारा प्रकरण क्रमांक 2 (अ--70) 2013--14/ तहसीलदार बिछिया के न्यायालय प्रकरण क्रमांक 18/अ--70/2008--09 में पारित आदेश दिनांक 21--07--2014 के विरुद्ध पुनरीक्षण अंतर्गत धारा--50 मध्यप्रदेश भू--राजस्व संहिता 1959.

महोदय,

आवेदक निम्नानुसार पुनरीक्षण आवेदन प्रस्तुत करता है--

<u>संक्षिप्त तथ्य:--</u>

1. यह कि, ग्राम मारसडोली तहसील बिछिया की भूमि क्रमांक--144/2 की आवेदक अभिलेखित भूमि स्वामी है.

2. यह कि, अनावेदकों द्वारा आवेदक की भूमि पर अवैध रूप से आधिपत्य कर आवेदक को बेदखल कर दिये जाने पर आवेदक ने तहसील न्यायालय में संहिता की धारा--250 के अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत किया तहसील न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात दिनांक 08--03--2012 को आवेदन स्वीकार किया तथा अनावेदकों को बेदखल किये जाने के आदेश पारित किये.

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक निग0 4038–एक/14 जिला – मंडला

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
6-4-16	प्रकरण का अवलोकन किया । यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी, जिला मंडल द्वारा प्रकरण क्रमांक 2(अ–70)/2013–14 में पारित आदेश दिनांक 21–7–14 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत पेश की गई है । 2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि तहसीलदार द्वारा प्रकरण क्रमांक 18/अ–70/2008–09 में पारित आदेश दिनांक 5–9–13 के अनुसार विवादित भूमि पर आवेदिका को कब्जा न सौंपे जाने पर आवेदिका द्वारा तहसील न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत कर कब्जा दिलाए जाने का निवेदन किया गया । उक्त आवेदन पर कार्यवाही करते हुए तहसीलदार ने संहिता की धारा 250(क) के तहत अनावेदक द्वारा कब्जा न सौंपे जाने के कारण अनावेदक के विरूद्ध सिविल कारागार के तहत कार्यवाही किए जाने बावत प्रतिवेदन पेश किया गया । इस पर से अनुविभागीय अधिकारी द्वारा कार्यवाही करते हुए आलोच्य आदेश द्वारा राजस्व निरीक्षक से अतिक्रमण की रिर्पोट लिए जाने एवं एस.एल.आर. को पुनः सीमांकन किए जाने के निर्देश दिए । अनुविभागीय अधिकारी के इस आदेश से व्यथित होकर यह निगरानी पेश की गई है । 3/ आवेदक के विद्वान अधिवक्ता के तर्क सुने गये । उनके द्वारा मुख्य रूप से उन्हीं तर्कों को दोहराया गया है जो निगरानी मेमो में	

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	उद्धरित किये गये हैं । 4/ अनावेदक प्रकरण में एकपक्षीय है । 5/ आवेदक के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अभिलेख का अवलोकन किया तथा आलोच्य आदेश का परिशीलन किया । इस प्रकरण में संहिता की धारा 250 के अंतर्गत तहसीयलदार द्वारा अवैध कब्जा हटाने के आदेश दिए जाने के उपरांत आदेश का पालन न करने की स्थिति में संहिता की धारा 250 (क) के अंतर्गत सिविल कारागार भेजने का प्रावधान है और इसी प्रावधान के अंतर्गत तहसीलदार द्वारा प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी को अनावेदक के विरूद्ध सिविल कार्यवाही की कार्यवाही किए जाने हेतु भेजा गया है । परंतु अनुविभागीय अधिकारी द्वारा उक्त प्रावधान के अनुरूप कार्यवाही न की जाकर पुनः सीमांकन किए जाने हेतु एस.एल.आर. को निर्देश दिए जाने एवं राजस्व निरीक्षक को अतिक्रमण की रिर्पोट दिए जाने के निर्देश देने में पूर्णतयः क्षेत्राधिकार रहित कार्यवाही की गई है ऐसी स्थिति में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 21–7–14 विधि विपरीत होने से स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है । इस प्रकरण में यह विधिक आवश्यकता है कि यह प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी को इस निर्देश के साथ भेजा जाये कि वे वे तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन पर संहिता की धारा 250(क) के प्रावधानों के अनुरूप विचार कर विधिवत कार्यवाही करें । 3/ उभयपक्ष सूचित हों । अभिलेख वापिस हों । सदस्य	